युवा क्षमता विकास योजनाः-

प्रदेश में युवाओं की क्षमता के विकास तथा युवा वर्ग को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने हेतु यह आवश्यक है कि साख, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं भर्ती प्रक्रियाओं पर युवाओं के उपर आने वाले व्यय में प्रत्यक्ष कमी हो एवं युवा प्रदेश के विकास में भागीदार हो। इस हेतु वर्ष 2015-16 से ''युवा क्षमता विकास योजना'' प्रारंभ की गई है। योजनान्तर्गत निम्नानुसार प्रावधान हैंः-

(क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के हितग्राहियों को प्रचलित ब्याज दर में प्रथम वर्ष के लिये 6 प्रतिशत की छूट,

(ख) व्यापम द्वारा आयोजित सभी प्रवेश तथा भर्ती परीक्षाओं के शुल्क में रू. 100/- प्रति परीक्षार्थी की दर से कमी,

(ग) शासकीय आई.टी.आई. में अध्यनरत छात्रों के शिक्षण शुल्क (अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों को छोड़कर शेष छात्रों द्वारा देय रू. 1000/- प्रतिवर्ष) तथा परीक्षा शुल्क (रू. 100/- प्रति छात्र प्रति सेमेस्टर) में 50 प्रतिशत की कमी,

(ग) छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के द्वारा आयोजित डिप्लोमा, स्नातक तथा स्नातकोत्तर परीक्षाओं (बैक पेपर्स को छोड़कर) के परीक्षा शुल्क (लगभग रू. 800/- प्रति सेमेस्टर) में 50 प्रतिशत की कमी करते हुए कमी की पूर्ति इस योजना से किया जाना।

इस हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 12.00 (बारह करोड़ मात्र) का बजट प्रावधान किया गया है।